छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 49/2011

निर्णय सुरक्षित: 6–7–2021

निर्णय सुनाया गया: 13–7–2021

राधेश्याम पाठक (मृतक) के विधिक वारिसानो के माध्यम से

(वादी)

1A. श्रीमती उषा मिश्रा, पति स्वर्गीय श्री आर.ए. मिश्रा, निवासी छोटी कोनी, बिलासपुर (छ.ग.)

1B. श्रीमती निशा शर्मा, पति ए.पी. शर्मा, निवासी गंगानगर, बिलासपुर (छ.ग.)

1C. श्रीमती शांध्या दुबे, पति श्री रूपचंद्र दुबे, निवासी 1008, कावेरी विहार, जमनीपाली, कोरबा (छ.ग.)

1D. श्रीमती प्रतिभा दुबे, पति श्री रामचंद्र दुबे, निवासी एसटीपीपी, दर्री, कोरबा (छ.ग.)

1E. श्रीमती संध्या पांडेय, पति श्री वी.बी. पांडेय, निवासी 'अनुकंपा' जोरापारा, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

1F. श्रीमती रेखा द्विवेदी, पति श्री आर.के. द्विवेदी, आईटीआई कोनी के सामने, बिलासपुर (छ.ग.)

1G. श्री प्रभात पाठक, पिता स्वर्गीय राधेश्याम पाठक, निवासी देवेंद्र नगर, फेज–II, सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)

1H. श्री जय प्रकाश पाठक, पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम पाठक, निवासी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाघवा मंदिर के पास, पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

1I. श्री विजय प्रकाश पाठक, पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम पाठक, निवासी बाघवा मंदिर के पास, पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

1J. श्री प्रसून पाठक, पुत्र स्वर्गीय श्री राधेश्याम पाठक, निवासी बाघवा मंदिर के पास, पुराना सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.)

---- अपीलार्थी

विरुद्ध

1. कन्हैया गोंड, पिता स्व महेश गोंड, उम्र लगभग 32 वर्ष

2. नंदलाल गोंड, पिता स्व महेश गोंड, उम्र लगभग 26 वर्ष

3. श्रीमती बेहा बाई, पति स्व महेश गोंड, उम्र लगभग 60 वर्ष, सभी निवासी ग्राम घुटकू, तहसील तखतपुर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

(प्रतिवादीगण)

---- उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ताओं की ओर से : श्री अरविंद श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
उत्तरवादीगण की ओर से: श्री रविंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल
सी.ए.वी. निर्णय

1. इस मामले की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई है।

2. वादी /अपीलार्थी (वादी के विधिक वारिसान) की ओर से प्रस्तुत द्वितीय अपील को 29–11–2013 को सुनवाई के लिए

स्वीकार किया गया था और विधि के निम्नलिखित सारवान प्रश्नों को तैयार किया गया–

"1. क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय प्रतिवादीगण के प्रतिकूल कब्जे के अधिकार को प्रमाणित पाये जाने के आधार पर विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को उलटने में न्यायसंगत था?

2 . क्या वादी की ओर से विचारण न्यायालय में पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से स्थापित प्रकरण, उचित था या नहीं? "

(सुविधा की दृष्टि से पक्षकारों को विचारण न्यायालय में उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. वादी राधेश्याम पाठक ने पावर ऑफ अटॉर्नी धारक विजय प्रकाश पाठक के माध्यम से स्वत्व के आधार पर कब्जा प्राप्ति के लिए वाद पेश किया, जिसमें कहा गया कि वादी ने वाद सम्पत्ति को 27–11–1976 को शेष नारायण लाल अग्रवाल से खरीदा और कब्जा प्राप्त किया और तुरंत बाद, इसे महेश गोंड – प्रतिवादियों के पिता को अनुज्ञप्ति पर दे दिया। प्रतिवादी महेश गोंड के पुत्र और विधवा हैं। वर्ष 1990 में, अनुज्ञप्ति को समाप्त कर दिया गया और वाद सम्पत्ति को खाली करने के लिए 3–9–2007 को नोटिस देकर खाली करने की मांग की गई, जो खाली नहीं किया गया, जिसके कारण वाद सम्पत्ति के कब्जा हेतु वाद पेश किया गया। प्रतिवादीगण ने लिखित कथन के माध्यम से कथन किया कि वे

लंबे समय से निर्बाध तथा बिना किसी हस्तक्षेप के सम्पत्ति के कब्जे में हैं और शेष नारायण अग्रवाल को वादी के पक्ष में वाद संपत्ति को स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं है, वे अनुज्ञप्तिधारी नहीं हैं और वादी का दावा समय सीमा बाहय है।

4. विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के पक्ष में डिक्री दिया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादीगण ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की और प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय की डिक्री को अपास्त कर दिया और वाद खारिज कर दिया, जिसे वादी ने इस द्वितीय अपील में चुनौती दी है जिसमें विध के सारवान प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो इस निर्णय के प्रथम कंडिका में वर्णीत हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव, ने कथन किया–

1. विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय, दोनों ने वादी को वाद सम्पत्ति का स्वामी माना है, चूंकि प्रतिवादीगण ने प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं किया है, विचारण न्यायालय द्वारा पारित कब्जे की डिक्री को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप और पलटा नहीं जा सकता।

2. परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के

अनुसार, एक बार वादी का स्वत्व कब्जे के वाद मे प्रमाणित पाया जाये, उसके पश्चात प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सिद्ध करना होता है और वाद समय बाहय होने के आधार पर खारिज नही किया जा सकता , जब तक कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे का दावा कर उसे प्रमाणित न कर दे ।

3. प्रथम अपीलीय न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि महेश गोंड और उसके पश्चात प्रतिवादीगण वादी के अनुज्ञप्तिधारक नहीं है । अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष अनुसार वादी का स्वत्व प्रमाणित होने के पश्चात, मूल वादी के परीक्षण न किये जाने का वाद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस कारण से आलोच्य डिक्री को अपास्त कर विचारण न्यायालय के डिक्री को पुनःस्थापित किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. प्रतिवादीगण के द्वारा स्वत्व के साथ–साथ विरोधी आधिपत्य की प्रतिरक्षा ली गयी है, जो कि इस न्यायालय के एस.ए.नंबर 112/2004 (अशोक कुमार गुप्ता विरुद्ध सुशीला एवं अन्य) निर्णय दिनांक 15–10–2019 के अनुसार पोषणिय नहीं है ।

6. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र अग्रवाल, ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय का

समर्थन किया है, तथा कथन किया है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के **<u>दर्या सिंह हरसिंह एवं अन्य विरूद्ध कलमा निहाला</u>** मे पारित निर्णय के अनुसार वादी को वाद सम्पत्ति पर अपना स्वत्व प्रमाणित किया जाना था । यह भी कि माननीय उच्चत्तम न्यायालय के **<u>मोहिन्दर कौर विरूद्ध संत पौल सिंह</u>** के निर्णय के आधार पर वादी का परीक्षण न किये जाने का कोई प्रभाव नही होगा ।

7. उभयपक्षो को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया ।

8. परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 65 –

	सम्पत्ति का विवरण	परिसीमा काल	वह समय जब से काल चलना आरंभ होता है
65	हक के आधार पर स्थावर सम्पत्ति या उसमे के किसी हित के कब्जे के लिए । स्पष्टीकरण- इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए- (क) जहां कि वाद शेषभोगी या (भू-स्वामी से भिन्न) उत्तरभोगी या वसीयतदार द्वारा वहां प्रतिवादी का कब्जा केवल तब प्रतिकूल हो गया समझा जाएगा जबकि, यथास्थिति शेषभोगी, उत्तरभोगी या वसीयतदार को संपदा में कब्जे का हक उद्भूत होता है; । (ख) जहां कि दावा हिंदू या मुस्लिम नारी की मृत्यु पर स्थावर संपत्ति के कब्जे हकदार हिंदू या मुस्लिम द्वारा हो वहां प्रतिवादी का कब्जा केवल तब प्रतिकूल हो गया समझा जाएगा जब उस नारी की मृत्यु होती है;	बारह वर्ष	जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(ग) जहां कि वाद किसी डिक्री के निष्पादन में हुए विक्रय के क्रेता द्वारा हो, वहां यदि निर्णीत ऋणी विक्रय की तारीख को बेकब्जा था तो क्रेता उस निर्णीत ऋणी का प्रतिनिधि समझा जाएगा, जो बेकब्जा था ।

9. उक्त प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जब वाद हक के आधार पर पेश किया गया हो, तथा सुसंगत दस्तावेजो तथा साक्ष्य से स्वत्व प्रमाणित पाया गया हो, ऐसे में वादी को अयोग्य नही ठहराया जा सकता, जब तक कि प्रतिवादी प्रतिकूल कब्जे को साबित न कर दे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. माननीय उच्चत्तम न्यायालय द्वारा **सरूप सिंह विरूद्ध बंतो एवं अन्य** मे निर्धारित किया गया है कि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के आलोक में वादी को अपना वाद स्वत्व प्रमाणित करना होगा तथा प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे को साबित करना होगा तथा परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के आलोक में परिसीमा काल का आरंभ वादी के स्वत्व अर्जित करने के दिनांक से प्रारंभ नही होता परन्तु तब प्रारंभ होगा जब प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल हो जाये । रिर्पोट की कंडिका 28, 29 तथा 30 –

"28. परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142 तथा 144 प्रावधान के अवलोकन के करने से, वादी के लिए यह महत्त्वपूर्ण है कि वह न केवल अपना स्वत्व को प्रामणित करे परन्तु बारह

वर्ष के अंदर उसके कब्जे को भी प्रमाणित करे। जबकि परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 64 तथा 65 के अनुसार विधिक प्रावधान मे परिर्वतन हआ है । प्रस्तुत वाद मे वादी उत्तरवादी ने उनका स्वत्व प्रमाणित किया है तथा प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व अर्जन को प्रमाणित करना होगा । प्रतिवादी ने प्रतिकूल कब्जा की प्रतिरक्षा नही ली है । अतः वादी वर्जित नही है ।

29. परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 प्रावधान के अनुसार परिसीमा काल वादी के स्वत्व अर्जन के दिनांक से प्रारंभ न होकर, प्रतिवादी का कब्जा प्रतिकूल होने के दिनांक से होगी । (वसंतीबेन प्रहलादजी नायक विरूद्ध समोन्थ मुलजीभाई नायक)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

30. अनिमस पोसी डेन्डी , प्रतिकूल कब्जा का आवश्यक तत्व है । परिसीमा काल का चलना तब तक प्रारंभ नहीं होता है जब तक कि किसी व्यक्ति का कब्जा प्रतिकूल न हो जाए । प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं अपीलार्थी ने कथन किया है कि वास्तविक स्वामी के विरुद्ध उसका कब्जा प्रतिकूल कब्जा नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का कब्जा प्रतिकूल कब्जा नहीं है । (मोहम्मद मोहम्मद अली विरुद्ध जगदीश कलिता एस.सी.सी. कंडिका 21)"

11. _माननीय उच्च्तम न्यायालय द्वारा **<u>एम० दुराई विरूद्ध मुथु एवं</u>**

अन्य मे उक्त दृष्टिकोण को .....

"7. परिसीमा अधिनियम, 1908 तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 में सबूत के भार में किए गये परिवर्तन अवलोकनीय है । जबकि पुराने परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 142 और 144 के अनुसार, वादी को परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत वाद प्रस्तुती से बारह वर्ष पूर्व अपने स्वामित्व और कब्जे को साबित करना था, एक बार जब वादी अपना स्वामित्व साबित कर देता है, तो यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर आ जाता है कि उसने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपने स्वामित्व को सिद्ध कर लिया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. इसी प्रकार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सी. नटराजन विरुद्ध आशिम बाई और अन्य के मामले में, यह निर्धारित किया गया कि परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत प्रस्तुत वाद में, वादी तब सफल होगा, जब वह अपना स्वामित्व साबित कर दे और प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से अपना स्वामित्व स्थापित करना होगा । यह निर्धारित किया गया कि: –

"15. कब्जे के वाद हेतु परिसीमा अधिनियम में बदलाव किये गये । परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 और 144 के अनुसार, वादी के लिए यह दावा कर प्रमाणित किया जाना अनिवार्य था कि संपत्ति पर न केवल उसका स्वत्व है, परंतु 12 वर्ष से अधिक समय से उस पर काबिज भी है।

हालांकि, अगर वादी ने परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 64 और 65 के अंतर्गत वाद हक का दावा करते हुए प्रस्तुत किया हो, तो यह साबित करने का भार प्रतिवादी पर होगा कि उसने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर स्वत्व अर्जित कर लिया है ।

16. मोहम्मद मोहम्मद अली (मृत) द्वारा विधिक वारिसान विरुद्ध जगदीश कलिता एवं अन्य [(2004) 1 एससीसी 271] में यह निर्धारित किया गया:

> "परिसीमा अधिनियम, 1963 के अंतर्गत विधिक प्रावधानों में बदलाव आया है। परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 65 के अधीन प्रस्तुत वाद में, वादी तभी सफल होगा जब वह अपना स्वामित्व साबित कर देगा और परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 और 144 द्वारा शासित वाद के विपरीत उसके लिए यह साबित करना अब आवश्यक नहीं होगा कि वाद प्रस्तुत करने के 12 वर्षों के भीतर उसका कब्जा था। इसके विपरीत प्रतिकूल कब्जे द्वारा अपना स्वामित्व स्थापित करने का भार प्रतिवादी पर था।"

{पी.टी. म्यूनिककन्ना रेड्डी एवं अन्य बनाम रेवम्मा एवं अन्य [(2007) 6 एससीसी 29]; बीनापानी पॉल बनाम प्रतिमा घोष एवं अन्य [(2007) 6 एससीसी 100]; कामाक्षी बिल्डर्स बनाम अंबेडकर एजुकेशनल सोसायटी एवं अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[एआईआर 2007 एससी 2191] और बख्तियार हुसैन (मृत) द्वारा विधिक वारिसान बनाम हाफिज खान एवं अन्य [सीए क्रमांक 497–498/01 निर्णय दिनांक 24.09.2007 को तय]}।"

13. इस प्रकार, आज की स्थिति में यह है कि परिसीमा अधिनियम की धारा 65 के वाद में, वादी को वाद संपत्ति पर उसके स्वत्व का दावा कर प्रमाणित करना होगा और उसके लिए यह साबित करना अनिवार्य नहीं होगा कि वाद प्रस्तुत करने से 12 वर्षों के पूर्व से वह संपत्ति के कब्जे में था, जबकि प्रतिकूल कब्जे को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादी पर होगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. उपरोक्त विधिक प्रावधान के आलोक में वर्तमान मामले के तथ्य के अनुसार यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी को वाद संपत्ति का स्वत्वधारी होना पाया तथा प्रतिवादीगण को अनुज्ञप्तिधारी होना पाते हुए, वादी के पक्ष में कब्जे की डिक्री दी, जिसे प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। यद्यपि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय की कंडिका 15 में यह निर्धारित किया कि वादी वाद भूमि का पंजीकृत स्वामी है तथा प्रतिवादीगण अनुज्ञप्तिधारी नहीं है, परंतु यह निर्धारित किया कि वादी का कब्जे के आधार पर स्वत्व का वाद समयाबाधित है क्योंकि वाद बिक्री विलेख के

निष्पादन की तिथि से 12 वर्ष के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था और परिणामस्वरूप, अपील को स्वीकार कर वादी के पक्ष में दी गई डिक्री को निरस्त किया गया ।

15. वादी का वाद स्वत्व के आधार पर कब्जा हेतु था तथा विचारण न्यायालय के निर्णय अनुसार वादी का स्वत्व प्रमाणित पाया गया और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विधिवत पुष्टि की गई। परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के अनुसार, उपरोक्त वर्णित अनुसार, एक बार जब वादी अपना स्वामित्व साबित कर देता है तो प्रतिवादी को प्रतिकूल कब्जे के तथ्य को दावा कर प्रमाणित करना होता है, परंतु इस मामले में, प्रतिवादीगण ने स्वामित्वधारी होने के आधार पर दावा किया है और स्वामित्व धारक न पाए जाने की स्थिति में उनके द्वारा प्रतिकूल कब्जा के आधार पर स्वत्व अर्जन का दावा किया गया है, इस प्रकार प्रतिवादीगण को परस्पर विरोधाभासी प्रतिरक्षा प्रदान करने की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती । जैसा कि विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार वादी ने वाद संपत्ति पर उसके स्वत्व को प्रमाणित किया है, ऐसी स्थिति में प्रतिकूल कब्जे को दावा कर प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, जिसे प्रतिवादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. प्रथम अपीलीय न्यायालय ने परिसीमा अधिनियम, 1963 के

अनुच्छेद 65 में निहित प्रावधानों के विपरीत त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष दिया कि वाद दिनांक 26–11–1976 (प्रदर्श.पी–1) से 12 वर्षों के भीतर दायर किया जाना चाहिए था, अर्थात वह तिथि जब पूर्व विक्रेता द्वारा वादी के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था। एक बार यदि वादी ने वाद संपत्ति पर स्वत्व प्रमाणित कर दिया हो, तब प्रतिकूल कब्जे को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था, परंतु प्रतिवादीगण ने प्रतिकूल कब्जे के आवश्यक तत्व nec vi, nec clam, nec precario को प्रमाणित नहीं किया है, फिर भी प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद को समय बाह्य माना ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इस न्यायालय के अभिमतानुसार, विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने, वादी के परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के अंतर्गत वाद संपत्ति पर उसके स्वत्व को प्रमाणित किया है, प्रतिवादीगण को प्रतिकूल कब्जे को अभिवचन कर प्रमाणित किया जाना था, जिसे प्रतिवादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे है और इस प्रकार वाद को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा परिसीमा अधिनियम द्वारा वर्जित नहीं माना जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध में परिसीमा अधिनियम में हुए बदलाव के संबंध में त्रुटि की गयी है तथा परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 तथा परिसीमा अधिनियम, 1908 के अनुच्छेद 142 और 144 का आशय अलग है, वादी की ओर से यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक था कि वाद पेश करने

के 12 वर्षों के भीतर वाद संपत्ति पर उसका कब्जा था, जो परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 के माध्यम से बदलाव किया गया । जैसा की विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादी को वाद संपत्ति का स्वत्वधारी होना पाया गया है, ऐसी स्थिति में वादी का परीक्षण न किये जाने से कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना दर्शित नहीं है तथा इस संबंध में उत्तरवादी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निर्णय संबंधित न होने से स्वीकार योग्य नहीं है । उपरोक्तानुसार विधि के महत्वपूर्ण प्रश्न तदनुसार निराकृत ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. उपरोक्त विश्लेषण पश्चात प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कर, विचारण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री को पुर्नस्थापित किया जाता है । उपरोक्त वर्णित सीमा तक द्वितीय अपील स्वीकार की जाती है । परिव्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है । तदनुसार अपीलीय डिक्री तैयार की जावे।

सही/-
(संजय के.अग्रवाल)
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**